

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(C-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur)

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTHD/मेट्रो/डीएलबी/2017-18/1217

दिनांक 23/01/19

-संशोधित स्वीकृति आदेश-

विभागीय समसंख्यक स्वीकृति आदेश क्रमांक प.6 (लेखा)RTHD/मेट्रो/डीएलबी/2017-18/43823 दिनांक 19.12.2018 को निरस्त कर राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTHDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 11.4.2 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के पेट अनुदान राशि रु. 382.87 लाख (अक्षरों राशि तीन करोड़ बयासी लाख सत्यासी हजार मात्र) निम्नांकित बजट मद में से जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5304 में राशि हस्तांतरण किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

		(राशि लाखों में)
विकलेय मद		जारी की जाने वाली राशि
माग संख्या -- 29		
2217	शहरी विकास	
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं	
09	सर्वजनिक सेवा के तथा अन्य उपक्रमों का सहायता	
(02)	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
(01)	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	
12	सहायताएं अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	382.87
	योग	382.87

स्वीकृत राशि का निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुये राशि का उपयोग किया जावे:-

1. संस्था उक्त राशि का उपयोग सिर्फ उस उद्देश्य के लिए कर सकेगी जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
 2. इस राशि का बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीछी खाते से अहरण निषिद्ध की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
 3. जयपुर मेट्रो व्यय करते समय राशि का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुरंगित वित्तीय नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना भी किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 101806262 दिनांक 10.12.2018 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 23/01/19

क्रमांक प.6 (लेखा)RTHD/मेट्रो/डीएलबी/2017-18/1217-1227

प्रतिनिधि संचालक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक सचिव (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
6. प्रथम निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि स्वीकृत राशि अपने निजी निक्षेप खाता संख्या 5304 में हस्तांतरित करवाने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रु. 382.8700 लाख (अक्षरों राशि तीन करोड़ बयासी लाख सत्यासी हजार मात्र) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5304 (कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर) में हस्तांतरित कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
10. प्रभासी वेबसाईट/समान्ख्यक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(एस.आर.मीणा)

परियोजना निदेशक